पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय में चंडीगढ़

2020 का सीआरआर नंबर 433 (ओ एंड एम)

निर्णय की तिथि: 09.06.2020

सागर याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य

...प्रतिवादी

कोरम: माननीय श्रीमान. न्यायमूर्ति सुवीर सहगल उपस्थित:- श्री संजीव गुप्ता, याचिकाकर्ता के वकील।

प्रतिवादी की ओर से श्री मुनीश शर्मा, एएजी, हरियाणा। सुवीर सहगल जे.

प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड, सोनीपत द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.11.2019 के तहत किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (संक्षिप्तता के लिए "अधिनियम") की धारा 12 के तहत जमानत की रियायत से इनकार कर दिया गया है। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, सोनीपत द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.01.2020 जिसके तहत याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील खारिज कर दी गई थी, याचिकाकर्ता ने उक्त आदेशों को चुनौती देते हुए

तत्काल पुनरीक्षण याचिका के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

संक्षेप में तथ्य यह है कि एफआईआर संख्या 78 दिनांक 20.02.2019 जिले सिंह के पुत्र धर्मवीर के बयान पर दर्ज की गई थी। 7 में से 1 ने आरोप लगाया कि लगभग 15 दिन पहले उसके बेटे सागर का XXX (नाम छुपाया गया) के साथ विवाद हो रहा था, जो कि कानून का उल्लंघन करने वाला बच्चा था, जिसमें मामले में समझौता हो गया था, लेकिन XXX को अभी भी उसके बेटे के प्रति शिकायत थी और उसने उसे धमकी दी थी। आरोप है कि 20.02.2019 को शिकायतकर्ता, उसका भतीजा और बेटा सागर अपनी मोटरसाइकिल पर सोनीपत से राठधना जा रहे थे। दोपहर करीब 1:00 बजे जब वे बंदेपुर सिंचाई विभाग के क्वार्टर के पास पहुंचे तो वहां XXX और एक अन्य लड़का खड़ा था और दोनों ने जबरन सागर को रोक लिया. उन्होंने जान से मारने के इरादे से सागर पर चाकू से हमला किया और उस पर हमला करने के बाद वे भाग गए, हालांकि शिकायतकर्ता ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की। याचिकाकर्ता को 20.02.2019 को गिरफ्तार किया गया था और वह तब से हिरासत में है।

याचिकाकर्ता के वकील ने आग्रह किया है कि याचिकाकर्ता की जन्मतिथि 16.10.2001 है और वह कथित घटना की तारीख पर कानून का उल्लंघन करने वाला बच्चा था। उस पर अधिनियम के प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए और अधिनियम की धारा 12 के संदर्भ में , वह अधिकार के रूप में जमानत पर रिहा होने का हकदार है। उनका तर्क है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है और याचिकाकर्ता का अपराध से दूर-दूर तक कोई संबंध नहीं है। उन्होंने तर्क दिया है कि निचली अदालतें उपरोक्त धारा 12 के तहत आवश्यक किसी भी निष्कर्ष को दर्ज करने में विफल रही हैं ।

राज्य की ओर से पेश वकील ने याचिका का विरोध किया और तर्क दिया कि याचिकाकर्ता हत्या में शामिल है, एक अपराध जो अपनी प्रकृति से गंभीर है। उनका कहना है कि याचिकाकर्ता आपराधिक प्रवृत्ति का है। वह आगे बताते हैं कि याचिकाकर्ता को एफआईआर में विशेष रूप से नामित किया गया है। उन्होंने

हिरासत प्रमाण पत्र दिनांक 2/7 31.05.2020 की प्रति दाखिल की है, जिसे रिकॉर्ड पर लिया गया है।

मैंने प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार किया है।

इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता का जन्म 16.10.2001 को हुआ था। इस प्रकार, कथित घटना की तारीख पर याचिकाकर्ता की आयु 18 वर्ष से कम थी। उनकी जमानत याचिका दायर की गई थी और उस पर अधिनियम की धारा 12 के अनुसार निपटारा किया जाना आवश्यक था।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 10.02.2020 द्वारा तमिलनाडु राज्य बनाम भारत संघ और अन्य में अनाथालयों में बच्चों का पुन: शोषण 2020(1)आरसीआर (आपराधिक)1022 में निम्नानुसार अवलोकन किया: -

6. एक बार जब बच्चे को जेजेबी के सामने पेश किया जाता है, तो जमानत का नियम है। अधिनियम की धारा 12 इस प्रकार है:-

12. ऐसे व्यक्ति को जमानत, जो स्पष्ट रूप से एक बच्चा है, जिस पर कानून के साथ संघर्ष करने का आरोप लगाया गया है।-

(1) जब कोई व्यक्ति, जो स्पष्ट रूप से एक बच्चा है और जिस पर जमानती या गैर-जमानती अपराध करने का आरोप है, पुलिस द्वारा पकड़ा या हिरासत में लिया जाता है या बोर्ड के सामने पेश किया जाता है या लाया जाता है, तो ऐसा व्यक्ति, इसमें किसी भी बात के बावजूद, दंड प्रक्रिया संहिता , 1973 (1974 का 2) या उस समय लागू किसी भी अन्य कानून में, ज़मानत के साथ या उसके बिना जमानत पर रिहा किया जा सकता है या किसी परिवीक्षा अधिकारी की देखरेख में या किसी योग्य व्यक्ति की देखभाल में रखा जा सकता है:

बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार रिहा नहीं किया जाएगा यदि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार प्रतीत होता है कि रिहाई से उस व्यक्ति को किसी ज्ञात अपराधी के साथ जोड़ने या उक्त व्यक्ति को नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में डालने या व्यक्ति की रिहाई की संभावना है। न्याय के

उद्देश्यों को विफल कर देगा, और बोर्ड जमानत से इनकार करने के कारणों और उन परिस्थितियों को दर्ज करेगा जिनके कारण ऐसा निर्णय लिया गया।

(2) जब पकड़े गए ऐसे व्यक्ति को पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा उपधारा (1) के तहत जमानत पर रिहा नहीं किया जाता है, तो ऐसा अधिकारी उस व्यक्ति को इस तरह से केवल एक अवलोकन गृह में रखवाएगा। जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है जब तक कि व्यक्ति को बोर्ड के समक्ष नहीं लाया जा सके।

(3) जब ऐसे व्यक्ति को बोर्ड द्वारा उप-धारा (1) के तहत जमानत पर रिहा नहीं किया जाता है, तो वह उसे एक अवलोकन गृह या सुरक्षित स्थान पर भेजने का आदेश देगा, जैसा भी मामला हो, ऐसी अवधि के लिए व्यक्ति के संबंध में जांच लंबित होना, जैसा कि आदेश में निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(4) जब कानून का उल्लंघन करने वाला कोई बच्चा जमानत आदेश के सात दिनों के भीतर जमानत आदेश की शर्तों को पूरा करने में असमर्थ होता है, तो ऐसे बच्चे को जमानत की शर्तों में संशोधन के लिए बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा।

7. उपधारा (1) यह बिल्कुल स्पष्ट करती है कि कानून के उल्लंघन में कथित बच्चे को जमानत के साथ या उसके बिना जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए या परिवीक्षा अधिकारी की देखरेख में या किसी योग्य व्यक्ति की देखभाल में रखा जाना चाहिए। बनाया गया एकमात्र प्रतिबंध यह है कि यदि बच्चे की रिहाई 7 में से 4 है तो उसे ज्ञात अपराधियों के साथ मिलाने या बच्चे को नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में डालने की संभावना है या जहां बच्चे की रिहाई न्याय के उद्देश्यों को विफल कर देगी, तो लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से जमानत से इनकार किया जा सकता है। यहां तक कि अगर जमानत नहीं दी जाती है, तो भी बच्चे को जेल या पुलिस लॉकअप में नहीं रखा जा सकता है और उसे अवलोकन गृह या सुरक्षित स्थान पर रखा जाना चाहिए।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने माना है कि कानून का उल्लंघन करने वाले कथित बच्चे को जमानत देना नियम है।

धारा 12(1) में निर्दिष्ट तीन आकस्मिकताओं को छोड़कर, कानून के साथ संघर्ष करने के आरोप वाले बच्चे को दंड प्रक्रिया संहिता या उस समय लागू किसी अन्य कानून में किसी भी बात के बावजूद जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए । (i) यदि यह मानने का उचित आधार प्रतीत होता है कि किशोर की रिहाई से उसके किसी ज्ञात अपराधी के संपर्क में आने की संभावना है (ii) रिहाई से किशोर नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में पड़ जाएगा और (iii) उनकी रिहाई न्याय के लक्ष्यों को पराजित कर देगी। जहां तक अपराध की गंभीरता का सवाल है, ऐसे बच्चे को जमानत की रियायत से इनकार करने पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

इस दृष्टिकोण को इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों से समर्थन मिलता है: -

1. नेहा बनाम. पंजाब राज्य , 2018(2)आरसीआर (आपराधिक)

2. बिट्टू बनाम. हरियाणा राज्य , 2015(2) आरसीआर(आपराधिक)316

3. अतुल कुमार एवं अन्य बनाम. हरियाणा राज्य ,

7 में से 5 2003(4) आरसीआर (आपराधिक) 404।

4. जब्बार बनाम. हरियाणा राज्य, 2016 का सीआरआर 4354, 14.12.2016 को निर्णय लिया गया।

निचली अदालतें याचिकाकर्ता को जमानत देने से इनकार करने के लिए कोई कारण बताने या अधिनियम की धारा 12(1) में दिए गए किसी भी अपवाद का उल्लेख करने में विफल रही हैं। रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं रखी गई है और न ही बहस के दौरान ऐसी किसी सामग्री का उल्लेख किया जा सकता है जो यह दिखाती हो कि यदि जमानत पर बढ़ा दिया गया, तो याचिकाकर्ता नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में पड़ जाएगा या ज्ञात अपराधियों के संपर्क में आ जाएगा। बिना किसी सामग्री के अभियोजन की आशंका मात्र याचिकाकर्ता को जमानत देने से इनकार करने का पर्याप्त आधार नहीं होगा। हिरासत प्रमाणपत्र के अनुसार,

याचिकाकर्ता पहले ही 1 वर्ष और 3 महीने से अधिक कारावास में बिता चुका है। उसे आगे हिरासत में रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

नतीजतन, पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जाती है और प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, सोनीपत द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.11.2019 और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सोनीपत द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.01.2020 को रद्द कर दिया जाता है। मामले की योग्यता पर ध्यान दिए बिना, इस स्तर पर, याचिकाकर्ता को उसके प्राकृतिक अभिभावक या करीबी रिश्तेदार द्वारा विद्वान प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड की संतुष्टि के लिए पर्याप्त जमानत/ज़मानत बांड प्रस्तुत करने के अधीन जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जाता है। सोनीपत.

याचिकाकर्ता के माता-पिता नियमित रूप से उसके आंदोलन की निगरानी करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि याचिकाकर्ता किसी भी ज्ञात अपराधियों के साथ न आए और किसी अन्य अपराध में शामिल न हो।

7 में से 6 यह स्पष्ट किया गया है कि यहां ऊपर किए गए किसी भी अवलोकन को मामले के गुण-दोष के आधार पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

सुमन
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)

बहादुरगढ़,हरियाणा